वित्तीय दिशा निर्देश 2016–17

कार्यक्रम का नाम : पुरूष नसबंदी के लिए क्षतिपूर्ति राशि (Compensation for Male Sterilization)

बजट / एफ०एम०आर० शीर्ष– A.3
बजट क्रम संख्या : एफ०एम०आर० कोड संख्या – A.3.1.4

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

परिवार कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत लाभार्थी, प्रेरक एवं सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति / प्रोत्साहन राशि दि जाने का प्रावधान है।

इस संदर्भ में संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक D.O. No 11026/11/2014-F.P. दिनांक 20 अक्टूबर 2014 के माध्यम से परिवार कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत लाभार्थी, प्रेरक एवं सेवा प्रदाताओं को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति / प्रोत्साहन राशि को निम्नांकित तालिकानुसार दिया जाना है:

सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों हेतु: (सभी राशि रुपये में)

SN	Procedure / Details of the package	Vasectomy (पुरुष नसबन्दी) संशोधित दर
1	Acceptor	2000
2	Motivator/ASHA	300
3	Drugs and dressings	50
4	Surgeons' Compensation	250
5	Anaesthetist/Assisting MO (if any)	-
6	Nurse/ANM	30
7	OT technician/helper	30
8	Cleark/documentation	20
9	Refreshment	10
10	Miscellaneous	10
Total		**2700**

B. प्रत्यायित नजी नर्सिंग होम में पुरूष नसबंदी हेतु निचे तालिका के अनुसार वर्णित राशि सभी जि में देय है।

निजी प्रत्यायित सेवा प्रदाता हेतु (सभी राशि रुपये में)

S.N.	Procedure	Vasectomy
1	Facility	2000
2	Acceptor	1000
Total		**3000**

प्रत्यायित निजी नर्सिंग होम को नियमानुसार भुगतान संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति से देय होगा। प्रत्यायित निजी नर्सिंग होम को नियमानुसार भुगतान संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति से देय होगा। जिस तहत् संबंधित संस्थान में समपन्न किये गये नसबंदी ऑपरेशन के लाभार्थी का बैंक पासबुक की छाया जिला स्वास्थ्य समिति में सभी उपयुक्त दावा दस्तावेजों के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य है। तदनोपर जिला स्वास्थ्य समिति संबंधित लाभार्थी को प्रस्तुत किये गये सूची एव पासबुक का मिलान करते उनके खाते में देय राशि प्रति लाभार्थी 1000 / – जमा करायेंगे। तत्पश्चात् ही उक्त संबंधित संस्था लाभार्थी के अनुसार प्रति केस 2000 / – की राशि दिया जाना है।

SPO, FP

(Avinash Kumar Pandey)
State Programme Manager
State Health Society, Bihar, Patna

C. निजी सर्जरी टीम जो कि पुरूष नसबंदी सेवाएँ सरकारी संस्थानों में जाकर देते हों तो इस तहत् निम्नांकित राशि देय है:

(Max. 30 cases/ day)	Vasectomy
Acceptor	2000
Motivator/ASHA	300
Clerks/documentation	20
Private Provider	**680**
TOTAL	3000

लाभार्थी के Pre Operative Examination, Operation, Post Operative Care की पूर्ण जबावदेह प्रत्यायित निजी संस्थान की होगी तथा लाभार्थी के Mobilization, Camp Managemen Documentation एवं क्षतिपूर्ति राशि इत्यादि का भुगतान की पूर्ण जबावदेही संबंधित सरकारी स्वास्थ्य संस्थान की होगी।

D. निजी चिकित्सक (सर्जन) जो सरकारी संस्थान में सरकारी टीम की सहायता से परिवार नियोजन सेवा प्रदान करते हों तो इसके तहत् निम्नांकित प्रतिपूर्ति राशि देय है:

	Vasectomy
Only Surgery	250
Local Anaesthesia/Anaesthetist	-
Total	250

लाभार्थी के Mobilization, Pre Operative Examination, Post Operative Care, क्षतिपूर्ति राशि इत्यादि का भुगतान तथा सर्जन के अलावे ऑपरेशन से संबंधित सभी प्रकार के उपयुक्त व्यवस्था की पूर्ण जबावदेही संबंधित सरकारी स्वास्थ्य संस्थान की होगी।

Reference:

1. राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पत्रांक SHSB/PM/42/05-4437 दिनांक 26.09.2007 **(For Option B)**
2. राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पत्रांक SHSB/GA/1250/14-429 दिनांक 19.01.2016 **(For Option C and D)**
3. **परिवार कल्याण ऑपरेशन हेतु प्रोत्साहन राशि आशा/आँगनबाड़ी की भांति विकास मित्र एवं जीविका सहेली को भी दिया जाना है (राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का पत्रांक 5516 दिनांक 25.08.2015 का संदर्भ करें)।**
4. Consent Form, Medical Checklist, Post Oprative Instruction Card and Sterilizaton Certificate a issued vide SHSB Letter No. SHSB/PM/42/05/-V/5682 Dt. 02-09-2015.
5. Documentation हेतु देय राशि सभी संबंधित दस्तावेजों (Consent Form, Medical Check List एवं निदेश कार्ड) की संधारण उपरान्त देय होगा। समय सीमा अथवा जांचोपरान्त बंध्याकरण प्रमाण–प उपलब्ध कराना भी संबंधित व्यक्ति की जिम्मेवारी होगी।
6. लाभार्थी के स्वयं उत्प्रेरित हो कर नसबंदी सेवा प्राप्त करते है तो उन्हें क्षतिपूर्ति राशि ₹2000/– अतिरिक्त ₹300/– अर्थात् कुल ₹2300/– की राशि देय होगा।

नोटः वित्तीय वर्ष 2015–16 का भुगतान लंबित है तो वित्तीय वर्ष 2016–17 में कंर्णाकित राशि भुगतान किया जा सकता है।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी का नाम – **डा0 कुमार पुरूषोत्तम सिंह निराला/निशांत कुमार**
संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी का फोन नं० : 9470003012/9431005971

DD-FP

SPO, FP

(Avinash Kumar Pandey)
State Programme Manager